राज्यपाल ने कटियोर में ग्रामीणों व स्कूली बच्चों से किया संवाद

बांसवाड़ा, (निसं)। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागडे ने जिले की यात्रा के दौरान गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय सामाजिक उत्तरदायित्व के चतुर्थ चरण के अन्तर्गत गोद लिये ग्राम कटियोर के राउमावि में आयोजित संवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों व स्कूल के बच्चों से संवाद किया।

विश्वविद्यालय सामाजिक उत्तरदायित्व के चतुर्थ चरण के अन्तर्गत जिले के दो गांव ग्राम पंचायत कटियोर व चनावाला ग्राम को गोद लिया गया है। प्रारंभ में संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी, गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के कुलपति केशव सिंह ठाकुर ने स्वागत किया। इस अवसर पर जिला कलक्टर डॉ इन्द्रजीत यादव, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजीव द्विवेद्वी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलाश बसेर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह, कटियोर सरपंच सुषमा निनामा, सरपंच शंकरलाल सहित अन्य अधिकारी व ग्रामीण मौजुद रहे। संचालन राजेश जोशी ने किया।

ग्राम्य उत्थान के लिए शिक्षा एवं जागरुकता सर्वोपरि ग्रामीणों से संवाद करते हुए राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागडे ने ग्राम्य जनजीवन, ग्रामीणों के उत्थान के लिए हो रहे प्रयासों, बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं तथा रहन-सहन एवं परिवेशीय पहलुओं पर आत्मीय चर्चा की। राज्यपाल बागड़े ने स्वस्थ, शिक्षित एवं सशक्त ग्राम्य शक्ति को राष्ट्रीय मजबूती का मूलाधार बताते हुए ग्रामीणों से इस दिशा में शिक्षा एवं जागरुकता के साथ आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विकसित ग्रामों से ही विकसित भारत की संकल्पना मजबूती से आगे बढ़े गी। उन्होंने ग्रामीणों से जीवन को आनन्दमयी एवं सुख-समृद्धिवान बनाने के लिए शिक्षा पर सर्वाधिक जोर देते हुए कहा कि इसके लिए अपने परिवार को शिक्षित बनाने पर सर्वोपरि ध्यान केन्द्रित करें। राज्यपाल ने कहा कि गरीबी और पिछड़ेपन से मुक्ति के लिए शिक्षा सशक्त माध्यम है। केन्द्र व राज्य सरकार शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है उसका पूरा-पूरा लाभ लेते हुए शिक्षित समाज और क्षेत्र बनाएं और सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीणों के उत्थान व बहुआयामी विकास के लिए व्यापक पैमाने पर लाभकारी योजनाओं का संचालन कर रही है इनका लाभ लेने के लिए जागरुकता के साथ पहल करें और पारिवारिक उन्नति पाएं।

आरोपियों को कोर्ट में पेश किया

राजसमंद। कांकरोली थाना क्षेत्र के धोईंदा निवासी हरीश जोशी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार तीनों आरोपियों जसंवतसिंह (20) पुत्र रामसिंह निवासी पालवासए थाना घासा जिला उदयपुर गजेन्द्रसिंह (32) पुत्र केसरसिंह व निर्भयसिंह पुत्र केसरसिंह निवासी बाडा बावडी घासा, उदयपुर, को कडी पुलिस सुरक्षा में गुरूवार अपरान्ह बाद एसीजीएम न्यायालय में पेश किया। कांकरोली थाना अधिकारी सरोज बैरवा ने बताया कि हत्या के मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को कॉर्ट में पेश किया जहां से न्यायाधीश ने दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दिए। मामले में आरोपियों से पूछताछ की जाएगी।

फिजियोथेरेपिस्ट बनी डॉ.रामावत

उदयपुर, (कासं)। राजस्थान विद्यापीठ विवि के लिए यह अत्यंत गौरव और गर्व का क्षण है कि विवि की पूर्व छात्रा डॉ. राजश्री रामावत विश्व कप विजेता भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम की फिजियोथेरेपिस्ट बनी। डॉ. रामावत ने समर्पण, परिश्रम व सेवा भावना के बल पर न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश और विद्यापीठ का नाम रोशन किया है। अपनी उल्लेखनीय उपलब्धि के दौरान डॉ. राजश्री रामावत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करने का गौरव प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति द्वारा भी उनके कार्यों की सराहना की जा चुकी है।कुलपति प्रो. शिवसिंह सारंगदेवोत ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि डॉ. राजश्री रामावत की सफलता राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय की मूल्य-आधारित शिक्षा, अनुशासन और सेवा भावना का सजीव उदाहरण है।

प्रदेश में 3 लाख 32 हजार लीटर से अधिक वॉश नष्ट

उदयपुर, (कासं)। आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते के निर्देशानुसार प्रदेश में अवैध मदिरा निर्माण, भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय पर रोक लगाने हेतु जारी विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत प्रभावी कार्यवाही करते हुए दिसंबर माह में 3 लाख 32 हजार 626 लीटर वॉश नष्ट किया गया। इसी क्रम में विभिन्न निरोधात्मक कार्यवाही में 1103 केस दर्ज करते हुए 758 को गिरफ्तार किया गया। आबकारी आयुक्त के अनुसार प्रदेश में जारी विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा निर्माण, भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कार्यवाही की गई। प्रदेश में दिसंबर माह में 3 लाख 32 हजार 626 लीटर वॉश नष्ट किया गया। इसी क्रम में भारत निर्मित विदेशी मदिरा 11836, देशी मदिरा 5820, अवैध मदिरा 7677, बीयर 1676 बोतल सहित 3 किलोग्राम भांग एवं 7 लीटर स्प्रिट सीज किया गया। अतिरिक्त आबकारी आयुक्त प्रशासन ओपी जैन एवं अतिरिक्त आबकारी आयुक्त पॉलिसी प्रदीप सिंह सांगावत ने बताया कि प्रदेश में विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत दिसंबर माह में अवैध मदिरा निर्माण, भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय में संलिप्तता पर राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत 1103 केस दर्ज करते हुए 758 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। अवैध मदिरा परिवहन में प्रयुक्त 22 दुपहिया वाहन, 3 हल्के चार पहिया वाहन, 3 भारी चार पहिया वाहन सहित 28 वाहनों को सीज किया है।

कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

क्रमांक: F.7( )B.PLAN/MISC/2025-26/21 **आम सूचना** दिनांक : 08/01/2026

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार के द्वारा दिनांक 14-10-2024 को विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियां (Development Promotion & Control Regulations) हेतु जारी अधिसूचना एवं इसकी निरन्तरता में समय-समय पर जारी आदेशों/परिपत्रों/अधिसूचनाओं आदि की अनुपालना मे निम्नलिखित प्रकरण भू-उपयोग परिवर्तन बाबत् विचाराधीन है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	राजस्व ग्राम/ योजना	खसरा संख्या / ब्लॉक संख्या	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	भूखण्ड / भूमि की स्थिति	भू-उपयोग परिवर्तन
1	श्री नरेन्द्र सिंह शक्तावत पिता श्री नवलसिंह शक्तावत	रकमपुरा	912, 916, 917, 939 से 945, 948 से 955	14-बी	3114.00 वर्गफीट	माउण्ट व्यू स्कुल से मेघा आवास योजना को जाने वाली 100 फीट सड़क पर स्थित है।	आवासीय उपयोग से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ

उक्त प्रकरण के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो प्राधिकरण कार्यालय में इस सूचना जारी होने की तिथि से 15 दिवस में किसी भी कार्य दिवस में निम्नहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर सकते है। इस समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर भू-उपयोग परिवर्तन बाबत अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। **सचिव, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर**

वीडियो कोच , ट्रक की भिड़ंत में 2 की मौत

उदयपुर, (कासं)। वीडियो कोच , ट्रक की भिडंत में 2 जनो की मौत हो गई। 13 लोग घटना में घायल हो गए। हादसा ऋषभदेव थाना क्षेत्र में हाईवे-48 पर पीपली-अ गांव के पास रात करीब 2 बजे हुआ। यह बस गोरखपुर से सूरत जा रही थी। इस दौरान आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी। बस का केबिन पूरी तरह टूटकर बिखर गया। इसके ड्राइवर सहित 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, टक्कर लगते ही ट्रक का ड्राइवर ट्रक लेकर फरार हो गया।

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मौका मुआयना करते हुए घटना की जानकारी की तो पता लगा कि बस में लगेज के अंदर लकडी के बॉक्स में अवैध शराब थी। जो यात्रियों की आड में तस्करी कर गुजरात ले जाई जा रही थी। पुलिस ने शराब को जब्त कर लिया है। वहीं, क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त बस को साइड कर ट्रैफिक व्यवस्था बहाल कराई।

बैंक लॉकर खोलने का मामला

उदयपुर, (कासं)। शहर के हाथीपोल थाना पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर उसके पति बैंक प्रबंधन व अन्य के खिलाफ बैंक लॉकर खोलने का प्रकरण दर्ज किया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडिता कलपना पुत्री अम्बादान निवासी केन्द्रीय विहार गुडगांव ने अपने पति बलवीर सिंह झाला निवासी रावला शिशोदा कला नाथद्वारा राजसमंद, चेतक सर्कल स्थित एसबीआई बैंक प्रबंधन व अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। जिसमें पीडिता ने बताया कि मेरी सास ने मरने से पूर्व मेरे पुत्र के नाम पर लॉकर वसीयत किया था। जिसमें रखे जेवरात व अन्य वस्तु पोते की शादी के पश्चात उसकी पत्नी को गिफ्ट किया लेकिन आरोपियों ने गत दिनों मिलीभगत कर लॉकर खोल दिया।

नकदी हड़पने वाला गिरफ्तार

उदयपुर, (कासं)। शहर के बडगांव थाना पुलिस ने फर्जी मालिक बन कर जमीन बेच कर पीडित से नकदी हडपने वाले को गिरफ्तार किया। प्रकरण के अनुसार 22 अप्रेल 25 को बदामीबाई पत्नी मोतीलाल सुथार निवासी रकमपुरा बेडवास थाना प्रतापनगर ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी। कि मेरी खातेदारी जमीन रकमपुरा बेडवास में स्थित है उक्त जमीन की किसी ने फर्जी महिला बदामीबाई बन मेरी जमीन की अर्जुनसिंह पुत्र भोपालसिंह के पक्ष में विक्रय पत्र सम्पादित कराया है। जिसमें गवाह गजेन्द्र एवं हमेरसिंह ने हस्ताक्षर किये है। इस मामले में प्रकरण दर्ज होने पर जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा, पुलिस उप अधीक्षक राजेश यादव के सुपरविजन में बडगांव थानाधिकारप्पूरण सिंह के नेतृत्व में गठित दल ने उक्त मामले में मुख्य षड़यंत्रकर्ता अर्जुनसिंह पुत्र भेरूसिंह निवासी ढि कली प्रतापनगर को डिटेन कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया।

कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

क्रमांक: F.7( )B.PLAN/MISC/2025-26/20 **आम सूचना** दिनांक : 07/01/2026

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार के द्वारा दिनांक 14-10-2024 को विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियां (Development Promotion & Control Regulations) हेतु जारी अधिसूचना एवं इसकी निरन्तरता में समय-समय पर जारी आदेशों/परिपत्रों/अधिसूचनाओं आदि की अनुपालना मे निम्नलिखित प्रकरण भू-उपयोग परिवर्तन बाबत् विचाराधीन है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	राजस्व ग्राम/ योजना	खसरा संख्या /ब्लॉक संख्या	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	भूखण्ड / भूमि की स्थिति	भू-उपयोग परिवर्तन
1	श्रीमती आभा झंवर पत्नी श्री मधुसूदन झंवर	अम्बेरी	879, 880, 881, 882, 893	–	0.8700 हैक्टयर	अम्बेरी पुलिया से देबारी चौराहे को जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग से जसबाग होम स्टे को जाने वाली प्रस्तावित 80 फीट सडक पर बरोलिया फार्म के समीप स्थित है।	कृषि भूमि के ट्रांसपोट नगर उपयोग से पर्यटन इकाई (होटल) प्रयोजनार्थ

उक्त प्रकरण के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो प्राधिकरण कार्यालय में इस सूचना जारी होने की तिथि से 15 दिवस में किसी भी कार्य दिवस में निम्नहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर सकते है। इस समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर भू-उपयोग परिवर्तन बाबत अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। **सचिव, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर**

कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

क्रमांक: F.7( )B.PLAN/MISC/2025-26/22 **आम सूचना** दिनांक : 08/01/2026

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार के द्वारा दिनांक 14-10-2024 को विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियां (Development Promotion & Control Regulations) हेतु जारी अधिसूचना एवं इसकी निरन्तरता में समय-समय पर जारी आदेशों/परिपत्रों/अधिसूचनाओं आदि की अनुपालना मे निम्नलिखित प्रकरण भू-उपयोग परिवर्तन बाबत् विचाराधीन है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	राजस्व ग्राम/ योजना	खसरा संख्या /ब्लॉक संख्या	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	भूखण्ड / भूमि की स्थिति	भू-उपयोग परिवर्तन
1	श्रीमती तनुश्री जोशी पत्नी श्री रोहित चतुर्वेदी	वाडा	471, 472, 474, 475, 476 मीन, 477 मीन, 478 से 482, 483/1, 484 से 488,489 मीन	60	7714.00 वर्गफीट	अम्बेरी पुलिया से देबारी चौराहे को जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर रजवाड़ी रेस्टोरेन्ट के समीप 200 फीट पश्चात् 60 फीट सड़क पर स्थित है।	आवासीय उपयोग से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ

उक्त प्रकरण के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो प्राधिकरण कार्यालय में इस सूचना जारी होने की तिथि से 15 दिवस में किसी भी कार्य दिवस में निम्नहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर सकते है। इस समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर भू-उपयोग परिवर्तन बाबत अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। **सचिव, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर**

ड्रग्स के दुष्परिणाम बताते हुए किया जागरूक

उदयपुर, (कासं)। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश गुप्ता के निर्देशों के क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर एवं आरोग्य सेवा संस्थान के सयुंक्त तत्वाधान मे नशे के विरूद्ध अभियान शुरू किया गया है।

एडीजे कुलदीप शर्मा ने बताया कि स्कूल एवं कॉलेज के बच्चो मे ड्रग्स लेने की बढ़ ती प्रवृत्ति को देखते हुए इसे रोका जाना आवश्यक है। आरोग्य सेवा संस्थान द्वारा संचालित आरोग्य जिला नशा मुक्ति केंद्र द्वारा गुरूवार को टी डी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय व परसाद स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों के मध्य नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें संस्था के प्रोजेक्ट कोर्डिनेटर विजयपाल सिंह द्वारा विद्यार्थियों को बताया गया कि नशा मुक्ति एक ऐसा अभियान हैं।

उदयपुर में राजस्थान ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर आज से

उदयपुर, (कासं)। पर्यटन की राजधानी के रूप में पहचाने जाने वाले उदयपुर के लिए यह वर्ष एक ऐतिहासिक उपलब्धि लेकर आया है। झीलों की नगरी में प्रथम बार राजस्थान ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर का भव्य और बहुप्रतीक्षित आयोजन 9 से 11 जनवरी तक चित्रकूट नगर स्थित थर्ड स्पेस में आयोजित किया जा रहा है। यह तीन दिवसीय आयोजन न केवल उदयपुर बल्कि पूरे राजस्थान के पर्यटन उद्योग के लिए एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है।

कार्यक्रम के आयोजक कमल शाह ने बताया की इस फेयर में होटल, रिसॉर्ट्स, होम-स्टे, ट्रैवल एजेंसियां, टूर ऑपरेटर्स, ट्रांसपोर्ट, एविएशन, इवेंट मैनेजमेंट, हैंडीक्राफ्ट, लोक कला, खानपान और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुडे देशभर के प्रतिष्ठित व्यवसायी, निवेशक और विशेषज्ञ भाग लेंगे। मनीष गलुण्डिया ने बताया कि आयोजन स्थल पर दर्जनों स्टॉल लगाए जाएंगे, जिनके माध्यम से पर्यटन से जुड़ी सेवाओं, पैकेजों और नवाचारों का प्रदर्शन किया जाएगा। सुभाष सिंह राजावत ने बताया की इस आयोजन से उदयपुर को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर नया आयाम मिलेगा।

यूबी श्रीवास्तव राकेश चौधरी ने बताया की आरटीटीएफ़ का मुख्य उद्देश्य उदयपुर को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत पर्यटन ब्रांड के रूप में स्थापित करना है। इस मंच के माध्यम से राजस्थान की पर्यटन संभावनाओं, हेरिटेज होटल्स, ऐतिहासिक धरोहरों, ठामीण पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को विश्व पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

ऊषा शर्मा आनंद सिंह भाटी ने बताया कि बी-टू-बी मीटिंग्स और नेटवर्किंग से नए व्यापारिक अवसर खुलेंगे। फेयर के दौरान बी-टू-बी मीटिंग्स, नेटवर्किंग सेशंस, पर्यटन निवेश पर संवाद, नई साझेदारियों और व्यवसाय विस्तार को लेकर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। इससे स्थानीय होटल व्यवसायियों और ट्रैवल एजेंट्स को बडे राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय टूर ऑपरेटर्स से सीधे जुडने का अवसर मिलेगा, जिससे भविष्य में पर्यटन व्यवसाय को नई गति मिलेगी।

स्थानीय रोजगार और आर्थिक विकास को मिलेगा बढ़ावा

आरटीटीएफ़ के आयोजन से उदयपुर सहित मेवाड़ अंचल में रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा। होटल स्टाफ, टूर गाइड्स, टैक्सी ऑपरेटर्स, लोक कलाकारों, हस्तशिल्प कारीगरों और युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही स्थानीय व्यापार, बाजार और पर्यटन आधारित उद्योगों को भी मजबूती मिलेगी।फेयर में राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक नृत्य-संगीत, लोक कला, हस्तशिल्प, खानपान और अतिथि सत्कार परंपरा को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। इससे देश-विदेश से आने वाले प्रतिनिधियों को राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान से रूबरू होने का अवसर मिलेगा।

कार्यालय नगरपालिका नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द (राज.)

Email: np_ntd@yahoo.in Phone:- 02953-233526

क्रमांक /न.पा.नाथ/नामा./2026/16379 दिनांक : 8.1.2026

- : आपत्ती सूचना :-

एतर्थ द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित व्यक्तियों द्वारा जरिये क्रय शुदा/पट्टा शुदा के आधार पर भूखण्डों का नामान्तरण/नाम हस्तान्तरण का स्वयं के नाम पर निम्नांकित वर्णित सम्पत्ति पर नामान्तरण/नाम हस्तान्तरण कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदन के संबंध में किसी भी हितधारी को कोई आपत्ती हो तो 7 दिवस (कार्य दिवस) में नगरपालिका कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत कर दें अन्यथा प्रकरण में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने एवं दस्तावेज पूर्ण पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए उक्त प्रकरणों में आगामी कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम व पता	आवेदित सम्पत्ति का पता	पड़ौस का विवरण पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1.	श्री लक्ष्मण सिंह सिसोदिया पिता श्री किशन सिंह निवासी- सादडी शिशवी, देलवाडा, नाथद्वारा	भूखण्ड संख्या-66 क्षेत्रफल-1375 वर्गफीट, श्रीजी रेजीडेन्सी आवासीय कॉलोनी भलावतो का खेडा, नाथद्वारा	30 फिट रोड	भूखण्ड संख्या-09 व 10	भूखण्ड संख्या-65	भूखण्ड संख्या-67

आयुक्त, नगरपालिका नाथद्वारा

कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

क्रमांक: उविप्रा/नियमन रिकॉर्ड/2025/3493 **आम-सूचना** दिनांक:- 8/1/2026

निम्न आवेदनकर्ता द्वारा अपने भूखण्डों का वारिसान के आधार पर अपने नाम पर नामान्तरण किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है:-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	राजस्व ग्राम	आवेदक का नाम / पिता का नाम	मृतक का नाम / दस्तावेज
1.	195 (MUT No. 7148)	742.50 वर्गफीट	मादडी पानेरियान खसरा नं. 553 से 617, 621 से 649, 659 से 667, 671, 674 से 752, 754 से 787, 791, 793, 794, 798 से 805, 808, 811 से 832, 1848/776, 776/1838, 776/1840, 1859/779 आदि	श्रीमती पुष्पा बाई पत्नी स्व. श्री श्यामलाल सुथार, निवासी- एफ-2, गली नं. 3. संतोष नगर, गारियावास, उदयपुर	श्री श्यामलाल सुथार पिता श्री मगनीराम सुथार का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 01.04.2021 एवं पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 13.08.2025 के आधार पर नामान्तरण चाहा गया है।

अतः उपरोक्तानुसार उक्त भूखण्ड का वारिसान के आधार पर नामान्तरण पत्र जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/फर्म को किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति/एतराज हो तो वो अपनी आपत्ति मय आधारों सहित इस सार्वजनिक सूचना पत्र के प्रकाशन से 07 दिवस की अवधि में इस कार्यालय में संबंधित शाखा के अन्दर इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर सम्बंधित शाखा प्रभारी को लिपिक को प्रस्तुत करावें । अन्यथा बाद गुजरने मयाद आवेदक के नाम पर उक्त भूखण्ड का नामान्तरण- पत्र/लीजडीड जारी की जा सकेगा।

(रणजीत सिंह विठ्ठ) तहसीलदार, उदयपुर विकास प्राधिकरण उदयपुर (राज.)

RIICO GROW WITH RAJASTHAN

राजस्थान सरकार का उपक्रम

RISING RAJASTHAN REPLETE • RESPONSIBLE • READY

औद्योगिक विकास के खुल रहे नये द्वार आप भी बनें भागीदार

सरल ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन

आधारभूत सुविधाओं युक्त औद्योगिक क्षेत्रों में करें उद्यम की स्थापना

64 कुल औद्योगिक क्षेत्र | 299 कुल भूखण्ड | 290 औद्योगिक भूखण्ड | 09 लॉजिस्टिक भूखण्ड

उपरोक्त औद्योगिक क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 लागू नहीं है

ईएमडी — प्रारम्भ तिथि: 09 जनवरी, 2026 (प्रातः 10:00 बजे) अंतिम तिथि: 23 जनवरी, 2026 (सायं 06:00 बजे)

ऑनलाईन बिड — प्रारम्भ तिथि: 27 जनवरी, 2026 (प्रातः 10:00 बजे) अंतिम तिथि: 29 जनवरी, 2026 (सायं 05:00 बजे)

30	आबू रोड़	03	चूरू	33	नागौर	08	उदयपुर
25	अजमेर	08	बीकानेर	07	पाली	03	जयपुर (दक्षिण)
05	अलवर	14	श्रीगंगानगर	24	झालावाड़	02	जयपुर (उत्तर)
08	भिवाड़ी-I	16	किशनगढ़	01	जालोर	25	ईपीआईपी सीतापुरा, जयपुर
19	भिवाड़ी-II	13	भीलवाड़ा	13	राजसमंद	02	जोधपुर
07	बोरानाडा	01	जयपुर (ग्रामीण)	20	कोटा	03	सवाईमाधोपुर
05	घिलोठ	01	सीकर	03	नीमराना		

*25% भुगतान के बाद, शेष 75% भुगतान 11 किश्तों में 8.5% ब्याज के साथ या 120 दिनों के भीतर ब्याज रहित भुगतान

या

रीको की टर्म लोन स्कीम के तहत भूमि की लागत का 75% तक का ऋण 5 साल की पुनर्भुगतान अवधि एवं 8.5% ब्याज के साथ

*केवल औद्योगिक भूखण्डों के लिए

आवेदन के लिए QR कोड स्कैन करें

राज.संवाद/सी/25/17325

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

ई-नीलामी हैल्पलाइन नं. 0141-4593250, 4593237, व्हाट्सएप: +91 9001306515, ई-मेल: riico@riico.co.in

आवंटन से सम्बंधित नियमों एवं शर्तें, ईएमडी विवरण, रजिस्ट्रेशन एवं भूखण्ड से सम्बंधित जानकारी के लिए देखें

https://riico. rajasthan.gov.in या https://www.riico.co.in

Name Changed

I Have Changed My Name From Rahat Warsi (Rahat Khan) to Rahat Khan Warsi For All Purposes. In Future be Called and Known by New Name. R/o 7-A, Aahil Villa, Kalka Mata Road, Gandhi Nagar, Pahada, New RTO Road, Udaipur, Raj.

Name Changed

I Have Changed My Name From Fatema Mustafa to Fatema Mustafa Khandwala For All Purposes. In Future be Called and Known by New Name. R/o-Flat No.-102, Saifee Burhani Park, Mahaveer Colony, New Navratan Complex, Udaipur Raj.

Name Changed

I Have Changed My Name From Tasneem to Tasneem Jukkerwala For All Purposes. In Future be Called and Known by New Name. R/o-13A, Durga Colony, Neemuch Kheda, Dewali, Udaipur, Raj.

(प्रपत्र संख्या-7)(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर (राज.)

नोटिस

पत्रावली संख्या:-10/2026/134

दिनांक-6/1/26

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस सम्बन्धित व्यक्तियो का

चूंकि श्रीमती अल्का शर्मा, सचिव ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 की धारा -17 (2) के अन्तर्गत चाईल्ड वेलफेयर सोसायटी, सी.पी.एस.स्कूल, न्यू भोपालपुरा, उदयपुर प्रन्यास के सम्बन्ध में पंजीयन किये जाने के लिये आवेदन पत्र दिया है।

अत: एव धारा 18 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपयुक्त प्रन्यास, जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिये यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे , इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 60(साठ) दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो, प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 6/1/26को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया। आगामी पेशी तारीख12/3/26 की रखी गयी है।

(मुहर) **(जतीन कुमार गाँधी) सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर**

डाउनलोड कीजिए एलआईसी मोबाइल ऐप LIC digital | विज़िट करें: licindia.in | कॉल सेन्टर सर्विस (022) 6827 6827 | IRDAI Regn No.: 512

अधिक जानकारी के लिए अपने एजेंट/नज़दीकी एलआईसी शाखा से संपर्क करें या अपने शहर का नाम SMS करें 56767474 पर.

हमें फौलो करें: LIC India Forever | हमारा वॉट्सएप नं. 8976862090 कहिए 'Hi'

धोखेधड़ी वाले फ़ोन कॉल्स तथा झूठे/भ्रामक प्रस्तावों से सावधान रहें. आईआरडीएआई या इनके कर्मचारी बीमा व्यवसाय जैसे कि बीमा पॉलिसियों की बिक्री, बोनस की घोषणा या प्रीमियम्स के निवेश, राशियां लौटाना जैसी कोई भी गतिविधियों में शामिल नहीं होते हैं. जिन पॉलिसीधारकों या संभावित ग्राहकों को ऐसे फ़ोन कॉल्स मिलें, वे कृपया पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करें. कृपया बिक्री के समापन से पहले बिक्री पुस्तिका को ध्यान से पढ़ लें.

LIC भारतीय जीवन बीमा निगम LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

हर पल आपके साथ

LIC/MI/2025-26/18/Hin